सरकार के प्रधान सचिव
जल संसाधन विभाग का कोषांग
प्र० प्रे० सं० 109
प्राप्ति की तिथि 29/05/19

विषयः—**Ground Water Recharge योजनाओं के संबंध में।**

महोदय दिनांक 28.05.19 को हुई बैठक का संदर्भ करें जिसमें घटते Ground Water Table पर बैठक हुई थी। इस बैठक में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण एवं नगर विकास इत्यादि विभागों ने भाग लिया था। इससे पहले हुई बैठक में महोदय द्वारा यह निदेश दिया गया था कि लघु जल संसाधन विभाग तथा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग एक साथ बैठकर Ground Water Recharge हेतु योजनाएँ बनावें, ताकि घटते जल स्तर को रोका जा सके। इसमें Critical Areas को चिन्हित किया गया था। हमारे अभियंता तथा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अभियंताओं के साथ बैठक कर उन Critical Areas तथा अन्य स्थानों पर व्यापक स्तर पर Ground Water Recharge Schemes लाने की चर्चा हुई थी।

इस क्रम में यह तय हुआ था कि लघु जल संसाधन विभाग अधिक से अधिक संख्या में Ground Water Recharge Scheme ले ताकि आने वाले दिनों में घटते Water Table की वजह से चापाकल एवं नलकूप न सूखे। उसी आलोक में विभाग द्वारा 850 करोड़ रू0 की योजनाओं को नाबार्ड सम्पोषित योजना (RIDF) हेतु चिन्हित किया था। हमें इसे अतिशीघ्र नाबार्ड भेजना है।

किन्तु वित्त विभाग ने 850 करोड़ रू0 की योजनाओं को भेजने से इंकार कर दिया है। वित्त विभाग का यह कहना है कि विभागीय बजट (80 करोड़) का तीन गुणा यानी 240 करोड़ रू0 तक की योजना ही वे नाबार्ड को भेजेगे। अधोहस्ताक्षरी का कहना है कि ऐसा करने से विभाग के पास कोई राशि नहीं बचेगी क्योंकि Committed Liability यदि घटा दी जाय तो हम इस वर्ष हम कोई नई Ground Water Recharge योजना नहीं ले पाएंगे।

हमें नाबार्ड को अधिक से अधिक योजनाएँ भेजना चाहिए और नाबार्ड से ऋण स्वीकृति मिलने के पश्चात ही हमें अग्रेत्तर कार्रवाई करनी चाहिए। Preliminary Stage में ही, नाबार्ड को योजना भेजने से पहले, अपने स्तर पर अभी से ही योजनाओं की कटौती करने का कोई औचित्य नहीं है। यदि वित्त विभाग के इस Stand को मान लिया जाता है तो इस वर्ष हम कोई नई Ground Water Recharge योजना नहीं ले पाएंगे। मेरे विचार से फिलहाल लघु सिंचाई विभाग ने 850 करोड़ रू0 की जो योजनाएँ चिन्हित की गयी हैं, उन्हें अतिशीघ्र नाबार्ड भेजना चाहिए।

इस पर महोदय अपना विचार कायम करते हुए प्रधान सचिव, वित्त विभाग से वार्ता करना चाहेंगे।

(के. के. पाठक)
प्रधान सचिव,
लघु जल संसाधन विभाग,
बिहार, पटना।

मुख्य सचिव,
बिहार।